

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-10 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेश उर्फ गोली पुत्र बद्रीप्रसाद निरो अमवा खटिकनपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 25 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद कर मु0अ0सं0—35/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0, 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पंचम पुत्र हीरालाल निरो कोड़ेरे मौजा बगहिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—46/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती कलावती पत्नी महेश निरो नन्दे थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—110/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. श्रीदत्त पुत्र चिनगू निरो कोचा कासिमपुर खालेपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—65/21, धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0 एकट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 13 ग्राम अवैध स्मैक।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 11/12.02.2021 की रात्रि को थाना को0 करनैलगंज के उ0निरो सुनील कुमार तिवारी मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गद्दोपुर रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। अभियुक्त को

थाना करनैलगंज में एनोडीोपीोएसो एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उन्नील सुनील कुमार तिवारी।
02. कांग जागेश्वर गौड़।
03. कांग अनुज अवस्थी।